

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), सीकर

क्रमांक: AS-18

2941

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/SIK/0004790

दिनांक: 02/08/2022

17/8/22

प्रशासनिक स्वीकृति

जहाँसेदार की अशिक्षा रहित प्राप्त निम्न आग (गांव आग) के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 32-7/2014 NDM-1 दिनांक 08.04.2015 अवधि 2015-2020 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आग (गांव आग) से पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अशिक्षा राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/SIKA/2 021/01477 9	नाम: Dharampal Yadav पिता का नाम: Chandra Ram जिला: सीकर	रामपुरा बेगा की नांगल, रामपुरा बेगा की नांगल, नीमकाथाना, पंचायत समिति -पाटन, ग्राम पंचायत -बेगा की नांगल, गाँव - गमपरा	21/12/2021	आग (गांव आग)	कपडे बिस्तर एवं बर्तन	3800
2	AR/SIKA/2 021/00615 6	नाम: Girdhari पिता का नाम: MALA RAM जिला: सीकर	DHANI- PALWALI BHAGEGA RS TEHSIL NEEM KA THANA, DHANI- PALWALI BHAGEGA RS TEHSIL NEEM KA THANA, नीमकाथाना, पंचायत समिति -नीमकाथाना, ग्राम पंचायत -भरोणा गाँव - भरोणा भाग एम	19/02/2021	आग (गांव आग)	कपडे बिस्तर एवं बर्तन	3800
योग							7600

सात हजार छः सौ लक्ष, 00

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-[02]-12

2941
17/8/22



जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
सीकर

प्रतिलिपि -निम्नान्वितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, सीकर।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, सीकर।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा

२५

प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
सीकर